



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.co

क्रमांक : 111 / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 01/09/2020

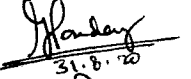
॥ अधिसूचना ॥

राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2011/रास/यू.-1 दिनांक 06.06.2020 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(vi.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में उद्योग, कृषि तथा वाणिज्य क्षेत्र से निम्नलिखित 02 सदस्यों को निम्नानुसार नामांकित किया गया है:-

- (1) श्री सुरेश चन्द्रवंशी, ग्राम पोस्ट- दौजरी ब्हाया तहसील - कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (2) श्री सुब्रत चाकी, (माइक्रो फायनेसिंग सोशल वर्कर) स्वदेशी भवन, शांतिनगर, रायपुर (छ.ग.)

इनकी कार्यावधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी।

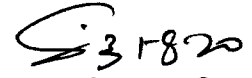
आदेशानुसार,


31.8.20
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 112 / अका. / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 01/09/2020

1. माननीय राज्यपाल महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सदस्यों को,
3. श्री सुरेश चन्द्रवंशी, ग्राम पोस्ट- दौजरी ब्हाया तहसील - कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
4. श्री सुब्रत चाकी, (माइक्रो फायनेसिंग सोशल वर्कर) स्वदेशी भवन, शांतिनगर, रायपुर (छ.ग.)
5. उप कुलसचिव, गोपनीय/ प्रशासन/परीक्षा/ वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)